रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2017/फाल्गुन 26, 1938
No. 756] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2017/PHALGUNA 26, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

का.आ. 842(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है;

और जबकि भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) राज्य सरकारों, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों अथवा संगठनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की केंद्रीयत: प्रायोजित स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रही है जिसका उद्देश्य स्कीम के पांच घटकों अर्थात् (i) एनएफएसएम – चावल, (ii) एनएफएसएम – गेहूं, (iii) एनएफएसएम – दलहन, (iv) एनएफएसएम – मोटे अनाज; और (v) एनएफएसएम - वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को इनपुट सहायिकी (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान करके खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना है।

और जबकि कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से लाई गई उपर्युक्त स्कीम में भारत की समेकित निधि से पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से व्यय अन्तर्वलित है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अंतर्गत फायदे का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, परंतु वह इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों अथवा मंत्रालय में ही स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग के लिए उन लाभार्थियों को आधार नामांकन सुविधा प्रदान करना आवश्यक है जिन्हें अभी आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि आस पास जैसे ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई भी आधार नामांकन केंद्र अब स्थित नहीं है तो कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकारों अथवा मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग के लिए यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है।

परन्तु व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक उक्त स्कीम के अधीन लाभ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; अथवा

(ii) लाभार्थी द्वारा पैरा-2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; अथवा (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; अथवा (iii) राशन कार्ड; अथवा (iv) पैन कार्ड; अथवा (v) किसान फोटो पासबुक; अथवा (vi) मोटर अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा (vii) सरकारी लैटर हैड पर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; अथवा (viii) मनरेगा कार्ड; अथवा (ix) पासपोर्ट; अथवा (x) राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परन्तु यह और कि इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा उपयुक्त दस्तावेज की जांच की जाएगी।

2. इस योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक व बाधामुक्त लाभ प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों व उनके फील्ड नेटवर्क के माध्यम से राज्य सरकारों अथवा मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग निम्नलिखित सुविधाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेंगे -

(क) इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में आवेदकों अथवा लाभार्थियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया व व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रसार किया जाए और यदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 31 मार्च, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र पर स्वयं का नामांकन करवाने की सलाह दी जाए और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि निकट पास पड़ोस जैसे ब्लॉक अथवा तहसील अथवा तालुका में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी द्वारा नामांकन करवा पाने में असमर्थ है तो कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों अथवा मंत्रालय द्वारा उत्तरदायी संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और इस उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों अथवा वेब-पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पदाभिहित संबंधित अधिकारियों को अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर आधार नामांकन के लिए रजिस्टर करवाने का लाभार्थी से अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीपीएस 1-1/ 2015- एनएफएसएम]

डॉ. बी. राजेन्दर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2017

S.O. 842(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Centrally Sponsored Scheme of National Food Security Mission (NFSM) (hereinafter referred to as the Scheme) implemented by the State Governments, National or International Institutes or organizations (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) aimed at increasing production of foodgrain and commercial crops by providing input subsidy (hereinafter referred to as the benefits) to farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries) under five components of the Scheme, namely, (i) NFSM-Rice (ii) NFSM-Wheat (iii) NFSM-Pulses (iv) Coarse Cereals; and (v) Commercial Crops;

And whereas, the aforesaid Scheme offered through the Implementing Agencies involve expenditures fully or partly incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by **31st March, 2017,** provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or the Ministry itself through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in State Governments or the Ministry through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Kisan Photo Passbook; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) MGNREGS Card; or (ix) Passport; or (x) any other documents as specified by the State Government or the Ministry:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or the Ministry through its Implementing Agencies and their field network shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by **31st March, 2017,** in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or the Ministry through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the State Government or the Ministry through its Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F.No.CPS 1-1/2015- NFSM]
Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.03.17 16:17:58 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.